भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-964

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश

964. **श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छात्रों की सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे निजी स्कूलों के विरुद्ध उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है, जहां छात्रों को अपनी नियमित पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यकलाप करने के लिए मजबूर किया जाता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निम्नानुसार विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं -

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2021 को जारी स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश। ये दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf

2. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशानिर्देशों की जांच और संकलन किया और दिनांक 26.02.2018 को "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर मैनुअल" नामक निम्नलिखित शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल विकसित किया। मैनुअल

https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf लिंक पर उपलब्ध है:

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दिनांक 27.02.2017 को जारी स्कूल सुरक्षा नीति पर दिशानिर्देश। ये दिशानिर्देश

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं:

इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान निहित हैं। डीओएसईएल दिशानिर्देश परामर्श प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है तथा वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इनमें परिवर्धन/संशोधन भी शामिल कर सकते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

एनईपी 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषयों में मूल्य आधारित अधिगम के एकीकरण को सशक्त रूप से बताती है, ताकि छात्रों को नैतिक और नैतिक मूल्यों के वास्तविक निहितार्थों को समझने में मदद मिल सके और इसका पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में अनुवाद किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2023, अधिगम के मानकों, शैक्षणिक प्रक्रियाओं, मूल्यांकन और स्कूलों और कक्षाओं की समग्र संस्कृति में मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास को एकीकृत करती है। रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यों को केवल अवधारणाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है बल्कि यह तो दैनिक अधिगम अनुभव का परिणाम हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निजी स्कूलों सहित अपने सभी संबद्ध स्कूलों में गतिविधियों में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2023 की सिफारिशों का पालन करने की सलाह दी है जो नियमित अध्ययन और अन्य गतिविधियों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों हेतु अनुकरणीय समय सारिणी प्रदान करता है। सीबीएसई ने स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और सुनिश्चयन रूपरेखा (एसक्यूएएएफ) विकसित और प्रसारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियमित शैक्षिक और सह-पाठ्यचर्या कार्यों सहित सभी कार्यों के लिए विस्तृत बेंचमार्क और मानदंड शामिल हैं। यह रूपरेखा स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन करता है। सीबीएसई स्कूलों को इस रूपरेखा का उपयोग करने और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। सीबीएसई जोर देती है कि स्कूलों में आयोजित सभी गतिविधियों को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहिए।

*****